



पत्रसंख्या- 275 / 82व्यक-सा0 / 2018

दिनांक 31/01/2018

-:कार्यालय ज्ञाप:-

शासकीय पत्रसंख्या-1855/111(1)/17-01(14)/अधि0/17 दिनांक-26.12.2017 के माध्यम से मुख्य सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-217/XXX-2/2017/55(02)/17 दिनांक 06.07.2017 की प्रति प्रेषित करते हुये निर्देशित किया गया है कि लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु 50 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले प्रत्येक अधिकारी/ कर्मचारी के सम्बन्ध में स्कीनिंग कमेटी की बैठक प्रतिवर्ष करने तथा चालू वित्तीय वर्ष-2017-18 में तत्काल स्कीनिंग कमेटी की बैठक आयोजित कर कमेटी की संस्तुति/निर्णय के क्रम में यदि शासन स्तर से कोई कार्यवाही अपेक्षित हो तो तत्काल परीक्षण कर औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही विभागाध्यक्ष कार्यालय स्तर से की जानी वाली कार्यवाही में नियमानुसार समस्त विधिक पहलुओं/विद्यमान शासनादेशों/नियमों को ध्यान में रखते हुये समयान्तर्गत अनुपालन सुनिश्चित कर कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने के निर्देश दिये गये हैं। शासन स्तर से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में इस कार्यालय के ज्ञापसंख्या-3579.../82व्यक-सा0/2018 दि0-31.01.2018 द्वारा शासनादेश संख्या-131/कार्मिक-2/2002 दिनांक-20.02.2002 के प्रस्तर-क के अनुसार " ऐसे सरकारी सेवक जिनके नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल से भिन्न हैं, की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के प्रकरणों पर विचार किये जाने हेतु विभागाध्यक्ष कार्यालय स्तर पर स्कीनिंग कमेटी का गठन कर दिया गया है"।

अतः उपरोक्त वर्णित शासकीय पत्र दिनांक-26.12.2017 के अनुपालन में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके मानचित्रकार एवं अभियंत्रण संवर्ग के समस्त कार्मिकों (मुख्य अभियन्ता स्तर तक) की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के प्रकरणों की समीक्षा किये जाने हेतु विभागाध्यक्ष कार्यालय स्तर पर निम्नवत् समिति का गठन किया जाता है:-

- | | |
|---|---------|
| 1. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), विभागाध्यक्ष कार्यालय, देहरादून | अध्यक्ष |
| 2. वरिष्ठ स्टॉफ आफिसर-प्रथम, विभागाध्यक्ष कार्यालय, देहरादून | सदस्य |
| 3. अधिशासी अभियन्ता (अधिष्ठान), विभागाध्यक्ष कार्यालय, देहरादून | सदस्य |
| 4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी-प्रथम, विभागाध्यक्ष कार्यालय, देहरादून | सदस्य |

उपरोक्त समिति अपनी आख्या/मंतव्य, स्कीनिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

E/0

(एच0के0 उप्रेती)

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अनु सचिव, लोक निर्माण अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
3. वरिष्ठ स्टॉफ आफिसर-प्रथम, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
4. अधिशासी अभियन्ता, (अधिष्ठान) विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
5. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी-प्रथम, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग को शासकीय पत्र दिनांक-26.12.2017 की प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि जिन कार्मिकों के नियुक्ति प्राधिकारी शासन/प्रमुख अभियन्ता हैं, के संबंध में शासनादेश संख्या-217/XXX-2/2017/55(02)/17 दिनांक-06.02.2017 के आलोक में ऐसे उपरोक्त उल्लिखित कार्मिकों जिनकी आयु 50 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के सम्बन्ध में अपनी सुविचारित आख्या स्पष्ट मन्तव्य सहित इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। संलग्न-यथोपरि।
7. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को उपरोक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रेषित। संलग्न-यथोपरि।
8. प्रशासनिक/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, व्यवस्थापन-ख/ग/घ एवं वर्कचार्ज वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को शासकीय पत्र दिनांक-26.12.2017 के अनुपालन के लिये। संलग्न-यथोपरि।
9. अधिशासी अभियन्ता (आई0टी0 सैल), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को शासकीय पत्र दिनांक-26.12.2017 की प्रति संलग्न करते हुये निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रकरण को लोक निर्माण विभाग की वेबसाईड पर अपलोड करने के साथ-साथ लोक निर्माण विभाग के समस्त कार्यालयों को ई-मेल भी करना सुनिश्चित करें। संलग्न-यथोपरि।
10. गार्ड पत्रावली हेतु।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

2/11/18
31/01/18